कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – deanshahdol@gmail.com, Office No. :- 07652 - 243000

Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG, Fax No. :- 07652 – 243222

क्रमांक/6589/स्था./एम.सी./2020 शहडोल, दिनांक 01/10/2020

विज्ञप्ति

कोविड–19 (कोरोना वायरस) महामारी की रोकथाम हेतु अतिरिक्त आवश्यक मानव संसाधन (आई.सी.यू. टेक्नीशियन) की अस्थायी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) म.प्र. भोपाल द्वारा निर्धारित निश्चित मासिक मानदेय रू. 15,000/– प्रतिमाह पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शहडोल (म.प्र.) में कार्य करने हेतु की जानी है। **जिसकी पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 07.10.2020 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।**

पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या
01	आई.सी.यू. टेक्नीशियन	03

- **आवश्कतानुसार पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।**

1. यह सेवायें पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही हैं। अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. उपरोक्त अस्थायी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत कोविड–19 महामारी के बचाव हेतु की जा रही है। जिसकी अवधि नियुक्ति दिनांक से 03 माह तक होगी एवं आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल से प्राप्त आदेशानुसार बढ़ाई–घटाई जा सकती है।
3. आवेदन पत्र केवल व्यक्तिगत रूप से बंद लिफाफा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चांपा शहडोल (म.प्र.) पिन 484001 में **दिनांक 07.10.2020 समय – सायं 05 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं।** उपरोक्त निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. आवेदन पत्र के साथ अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को राशि रू. 500/– तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार राशि रू. 300/– संस्था के नाम :– **New Govt. Medical College Shahdol Autonomous Society** खाता क्रमांक :– **3687727001, IFSC Code :- CBIN0280787 बैंक का नाम :– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया, मेन ब्रांच शहडोल (म.प्र.)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट, आवश्यक रूप से संलग्न करें। जिन आवेदन पत्रों में डिमान्ड्र ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए जाने अथवा आवेदन निरस्त होने की स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।
5. चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. चयनित अभ्यार्थी को मासिक मानदेय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर देय होगा।
7. नियुक्ति संबंधी जानकारी अथवा सूचना शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी। अतः समय– समय पर वेबसाइट का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पद का नाम, संख्या, शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय अर्हतायें संबंधी विवरण

क्र.	पद संख्या	पदनाम	शैक्षणिक अर्हतायें (योग्यता)	मासिक मानदेय
1	03	आई.सी.यू. टेक्नीशियन	1. मान्यता प्राप्त संस्था से ओ.टी. टेक्नीशियन /आई. सी.सी.यू. टेक्नीशियन का डिग्री/ डिप्लोमा। 2. म.प्र. सह चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीकरण।	रु. 15,000/- (NHM, द्वारा निर्धारित)

निरर्हतायें :-

- विकृत्त चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- **नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा :-** किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- **विवाह संबंधी :** जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01. 2001 को या उससे पश्चात हुआ हो, तो ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- **कदाचरण संबंधी :-** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्व ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्व हुआ हो।
- **स्वास्थ्य संबंधी :-** मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होने पर किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये, तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

महत्वपूर्ण टीप :- *यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी आर्हता की जांच स्वयं कर लें और आर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरुद्व पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।*

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner